**राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर**

**एकल पीठ दीवानी रिट याचिका संख्या 3874/2022**

1. संतोष कुमार न्योल, पुत्र तारा चंद न्योल, आयु लगभग 37 वर्ष, वीपो सतरा, तहसील चुरू, जिला चुरू (राज)।

2. सरिता गोस्वामी पुत्री हीरा पुरी गोस्वामी, उम्र लगभग 34 वर्ष, 53, माता जी की घाटी, छोटा बेदला, तहसील बड़गांव उदयपुर, जिला उदयपुर (राज.)।

3. रेणु आसिया पुत्री बृजराज सिंह आसिया पत्नी महेन्द्र सिंह कविया, उम्र लगभग 32 वर्ष, 91, गंगा सागर ए, करणी प्लेस के पास, पंच्यावाला, ब्लॉक झोटवाड़ा, जिला जयपुर (राज.)।

4. माया शक्तावत पुत्री शंभू सिंह शक्तावत पत्नी युवराज सिंह राठौर, उम्र लगभग 34 वर्ष, मकान नंबर 1182, महरही कॉलोनी, कालका माता रोड, फाड़ा, ब्लॉक गिरवा, जिला उदयपुर (राजस्थान)।

5. अलका शर्मा पुत्री कृष्ण कुमार शर्मा पत्नी सूर्य प्रकाश, उम्र लगभग 27 वर्ष, ग्राम खोपरा, पी.ओ. एल मेघना, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

6. राकेश कुमार पुत्र रामेश्वर लाल, उम्र लगभग 30 वर्ष, वार्ड नंबर 10, ग्राम घोतरा खालसा, पोस्ट कुंजी, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़ (राज.)

7. मनिंदरपाल कौर पुत्री दर्शन सिंह पत्नी निशान सिंह, उम्र लगभग 33 वर्ष, वीपीओ एनएनए, पदमपुर, तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर (राज.)

8. वरुण कुमार पुत्र याद राम, आयु लगभग 35 वर्ष, मोहल्ला खटीवाड़ा, वार्ड नं. 4, वीपीओ कोटकासिम, जिला अलवर (राजस्थान)।

--याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

2. प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग (प्राथमिक), राजस्थान सरकार सचिवालय, जयपुर। 3.निदेशक प्राथमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।

---उत्तरदाता

सहसंबन्धित

**एकल पीठ दीवानी रीट याचिका संख्या 16707/2021**

1. सुशीला कंवर राठौर पुत्री श्री माधो सिंह राठौर, उम्र लगभग 33 वर्ष, 17/56, मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर, (राज.)।

2. सुरज्ञान पुत्री श्री झाबर मल, उम्र लगभग 31 वर्ष, वीपीओ ढींगपुरा, वाया बे, तहसील दातारामगढ़, जिला सीकर (राज.)।

3. सोना दर्जी पुत्री श्री रमेश चंद दर्जी, उम्र लगभग 38 वर्ष, मकान नंबर 03, हनुमान नगर, नदी का फाटक, वार्ड नंबर 05, बेनाड रोड, जयपुर (राज.)।

4. सुनीता भुंकरिया पुत्री श्री गणपत राम भुंकरिया, उम्र लगभग 30 वर्ष, वार्ड नं. 10, गोवती, जिला सीकर, (राज.)।

5. प्रियंका नेहरा, उम्र करीब 31 साल, 262, जाटों की बस्ती, पी.ओ. भारंग, तहसील तारानगर, जिला चूरू (राज.)। भरंग, तहसील तारानगर, जिला चुरू (राज)।

6. हेमराज सिंह चौधरी पुत्र श्री कैलाश चंद, आयु लगभग 28 वर्ष, ग्राम सूरजगढ़, पोस्ट सोराई, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर (राजस्थान)।

7. रीनू चौधरी पुत्री श्री हजारी लाल चौधरी, उम्र लगभग 35 वर्ष, सी 901 ए, न्यू लोहा मंडी रोड, 4 सी स्कीम, एसबीआई बैंक के पास, जयपुर (राजस्थान)।

8. स्वाति पुत्री नवीन सिंह, उम्र लगभग 28 वर्ष, रघुवीरपुरा, तहसील राजगढ़, जिला- झुंझुनू (राज.)।

--याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

2. प्रमुख सचिव शिक्षा विभाग (प्रारंभिक), राजस्थान सरकार सचिवालय, जयपुर।

3.निदेशक, प्राथमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

--उत्तरदाता

एकल पीठ दीवानी रीट याचिका संख्या 17846/2021

1. अलका कुमारी शर्मा पुत्री  हरि राम शर्मा, उम्र लगभग 28 वर्ष, ब्राह्मणों का मोहल्ला, मंदिर के पास, वीपीओ, सोमसीसर, तहसील तारानगर, जिला चूरू, (राज.)

2 महीपाल सिंह पुत्र अमर सिंह, आयु लगभग 41 वर्ष, वीपीओ, झांझा, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू, (राज)

प्रमोद कुमार जानी पुत्र रतन लाल जानी, आयु लगभग 35 वर्ष, वीपीओ-भाटुंड, तहसील बाली, जिला पाली (राज)

4. साही राम नाई पुत्र हजारी राम नाई, आयु लगभग 40 वर्ष, गांव रामसीसर छजलानिया पोस्ट रामसीसर भेड़वालिया, तहसील सरदार शहर, जिला चुरू, (राज)

5॰ प्रताप नारायण सिंह पुत्र भंवर सिंह सोलंकी, आयु लगभग 44 वर्ष, वीपीओ -तोकरावास, तहसील दूनी, जिला टोंक, (राज)

6॰ सुभानली तैली पुत्र राजू खान तैली, आयु लगभग 41 वर्ष, वीपीओ-रामडेरिया, वाया सनावारा, तहसील और जिला बाड़मेर, (राज)

7. नीलेश कुमार दवे पुत्र रेवाशंकर, आयु लगभग 34 वर्ष, वीपीओ-भाटुंड, तहसील बाली, जिला पाली, (राज)

8. बद्री लाल मेहर पुत्र चित्तर मल, आयु लगभग 33 वर्ष, वीपीओ-लेसर्दा, तहसील के. पाटन, जिला बूंदी, (राज)

9. विक्रम कुमार पुत्र द्वारिका दास, आयु लगभग 26 वर्ष, वीपीओ-माडिया, वाया कलंदरी, जिला सिरोही, (राज)

10. नेहा सिंह शेखावत पुत्री लक्ष्मण सिंह शेखावत, उम्र लगभग 28 वर्ष, वीपीओ- बलारिया, तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनू, (राज.)

11.कृष्ण कुमार मेघवाल पुत्र महाबीर सिंह मेघवाल, आयु लगभग 37 वर्ष, ग्राम भामासी, पोस्ट मुंडी ताल, तहसील राजगढ़, जिला चुरू (राजस्थान)।

12. मनोज कुमार पुत्र हनुमानाराम जाट, आयु लगभग 40 वर्ष, वीपीओ-बाणा, तहसील श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर (राजस्थान)।

13. मुकेश कुमार जाट पुत्र मातादीन जाट, आयु लगभग 35 वर्ष, मातादीन जाट फतेहपुर, जिला अलवर, (राजस्थान)।

14. सुरेश कुमार कुमावत पुत्र डल्ला राम कुमावत, आयु लगभग 28 वर्ष, ग्राम शिव नगर, पी. ओ. पंचवा, तहसील कुचामन सिटी, जिला नागौर, (राज)।

15. विनोद कुमार यादव पुत्र जय नारायण यादव, आयु लगभग 35 वर्ष, ग्राम ताडावास, पोस्ट प्रतापपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर, (राज)।

16. गिरधारी लाल सैनी पुत्र हर चंद राम सैनी, आयु लगभग 42 वर्ष, ढाणी गोरूवाला, पोस्ट बबाई, तहसील खेत्री, जिला झुंझुनू (राज)।

17. प्रवीण कुमार अवस्थी पुत्र गोकुल प्रसाद अवस्थी, आयु लगभग 36 वर्ष, गांव सुंगारी, पोस्ट उन्बाडा, गांव, तहसील बसवा, जिला दौसा, (राज)।

18. पूनम कंवर पुत्री महेंद्र सिंह शेखावत, उम्र लगभग 28 वर्ष, बी.एस. त्यागी स्कूल, वार्ड नंबर 43, तिलक नगर, बीकानेर, (राज.)

19. चुतरा राम पुत्र पेनपा राम उम्र लगभग 36 वर्ष, गजसिंहनगर, भुंगरा, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर।

20. दुष्यंत कोठारी पुत्र रतन लाल कोठारी, आयु लगभग 31 वर्ष, उदयपुर रोड, जैन मंदिर के पास, मावली, जिला उदयपुर (राज)।

21. शिव कुमार पुत्र भूप सिंह यादव, आयु लगभग 34 वर्ष, पाटन अहीर, पोस्ट नांगल, सालिया, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर (राजस्थान)।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

2. प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग (प्राथमिक) राजस्थान सरकार सचिवालय, जयपुर।

3. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।

---उत्तरदाता

**एकल पीठ दीवानी रीट याचिका संख्या 3139/2022**

1. अमित सिंह राजपूत पुत्र नरपत सिंह राजपूत, आयु लगभग 28 वर्ष, गांव डगदगा, पोस्ट कीलपुर खेड़ा, तहसील रेनी, जिला अलवर (राजस्थान)।

2. सुमन पुत्री  भूप सिंह, आयु लगभग 30 वर्ष, वीपीओ देहमान, तहसील भुना, जिला फतेहाबाद (हरियाणा)।

3. आशा शर्मा पुत्री ओमप्रकाश शर्मा, उम्र लगभग 35 वर्ष, ग्राम दगदगा, पोस्ट कीलपुर खेड़ा, तहसील रनी, जिला अलवर (राज.)।

4. अंजलि जैमिनी पुत्री सुरेश जैमिनी उम्र लगभग 30 वर्ष, सेठी पेट्रोल पंप के सामने, मंडावर, तहसील महवा, जिला दौसा (राज.)।

5. दीपा शर्मा पुत्री गंगा प्रसाद शर्मा उम्र लगभग 31 वर्ष, 11, आकाशवाणी के पीछे गौतम कॉलोनी, तहसील एवं जिला स्वेमाधोपुर (राज.)।

6. अभिषेक कुमार शर्मा पुत्र यशवंत कुमार शर्मा, आयु लगभग 29 वर्ष, एमएम कोर्ट के पीछे, नर्सिंग कॉलोनी, तहसील गंगापुर सिटी, जिला सवाईमाधोपुर (राज)।

7. शिवराज माली पुत्र राम स्वरूप माली, आयु लगभग 29 वर्ष, जहाजपुर गेट सावर, तहसील सावर, जिला अजमेर (राज्य)।

8. रौनक शर्मा पुत्री  राजेश शर्मा, उम्र लगभग 30 वर्ष, काकोद, तहसील उनियारा, जिला टोंक (राज.)।

9. वर्षा राजावत पुत्री कुंवर सिंह राजावत, उम्र लगभग 26 वर्ष, वीपीओ चैनकोरा , तहसील रूपबास, जिला भरतपुर (राज.)।

10. विष्णु अग्रवाल पुत्र राधेश्याम अग्रवाल, आयु लगभग 31 वर्ष, 185/39, सेक्टर-18, प्रताप नगर, सांगानेर, जिला जयपुर (राजस्थान)।

11. प्रियंका शर्मा पुत्री  सुरेश चन्द जैमिनी, उम्र लगभग 34 वर्ष, 3469 सुख जी सदन, नाहरगढ़ रोड, जिला जयपुर (राज.)।

12. नंद किशोर शर्मा पुत्र आत्मा राम शर्मा, आयु लगभग 36 वर्ष, 2-ए, शिव नगर, मुकुंदपुरा रोड, बिंदयका सिरसी रोड, बिंदयका, जिला जयपुर (राजस्थान)।

13. रेणु शर्मा पुत्री गिरिराज प्रसाद शर्मा, आयु लगभग 28 वर्ष, वीपोओ पनवाडेरा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाईमाधोपुर  (राज)।

14. ज्योति यादव पुत्री  करतार सिंह, आयु लगभग 33 वर्ष, बनारजी का बाग, यशवंत स्कूल के पीछे, तहसील और जिला अलवर (राजस्थान)।

15. शालू बैरागी पुत्री पुरी लाल बैरागी, आयु लगभग 23 वर्ष, वीपीओ सलोतिया वाया सुनेल, तहसील पिरावा, जिला झालावाड़ (राज्य)।

16 ममता ज्याणी  पुत्री प्रताप सिंह ज्याणी , आयु लगभग 32 वर्ष, सिद्धमुख तहसील राजगढ़, जिला चुरू (राज्य)।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

2. प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग (प्राथमिक) राजस्थान सरकार सचिवालय, जयपुर

3.निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

--उत्तरदाता

याचिकाकर्ताओं के लिएः श्री सुशील बिश्नोई

उत्तरदाताओं के लिएः श्री पंकज शर्मा, एएजी श्री दीपक चंडक द्वारा सहायता प्राप्त

---

**माननीय न्यायाधीश रेखा बोराना**

**आदेश**

रिपोर्ट करने योग्य

30 जनवरी, 2023

**<u>एकल पीठ दीवानी रिट याचिका संख्या</u>**

**<u>3874/2022, 16707/2021 और 17846/2021</u>**

वर्तमान रिट याचिकाओं को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 (जिसे इसमें इसके बाद '1996 के नियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) के नियम 277ए के अनुसार प्रतीक्षा सूची जारी करने के लिए एक प्रार्थना के साथ दायर किया गया है और आगे एकल पीठ दीवानी रिट याचिका संख्या 2094/2019 (कुलदीप कुमार बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, 25.02.2021 को फैसला किया गया) के समान निर्देश जारी करने के लिए एक प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।

सभी तीन रिट याचिकाएं दिनांक 11.09.2017 के विज्ञापन से संबंधित हैं, जिसके अनुसरण में, यहां याचियों ने शिक्षक ग्रेड III स्तर 2 के पद के लिए आवेदन किया, हालांकि विभिन्न विषय।लेकिन वर्तमान याचिकाओं में शामिल मुद्दा सामान्य होने के कारण, वे इस सम्मिलित निर्णय द्वारा तय किए जाते हैं ।

न्यायिक निर्णय के उद्देश्य से एकल पीठ दीवानी रिट याचिका संख्या 16707/2021 के तथ्यों पर विचार किया जा रहा हैः

पुनरीक्षित/संशोधित विज्ञापन दिनांक 11.09.2017 के माध्यम से, शिक्षक ग्रेड III स्तर II के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे।यह विज्ञापन कुल 927 पदों के लिए जारी किया गया था।चयनित सूची स्नातक और आरईईटी परीक्षा के अंकों के आधार पर क्रमशः 30% और 70% वेटेज के साथ जारी की जानी थी।30/01/2018 को, पहली चयन सूची जारी की गई थी और उसमें उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया गया था।लेकिन दस्तावेज सत्यापन के बाद विज्ञापित पदों में से केवल 37 पद भरे गए और शेष पद रिक्त रहे। इन परिस्थितियों में, 1996 के नियमों के नियम 277ए के परंतुक के अनुसरण में प्रतीक्षा/आरक्षित सूची के प्रकाशन और कार्यान्वयन के लिए प्रार्थना के साथ विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा कई रिट याचिकाएं दायर की गईं।इन रिट याचिकाओं में से एक एकल दीवानी पीठ रिट याचिका संख्या 17360/2018 (उर्मिला देवी और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य) को भूषण कुमार पांड्या बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (एकल दीवानी पीठ रिट याचिका संख्या 14505/2018, दिनांक 25/10/2018 को निर्णित) में पारित निर्णय के संदर्भ में दिनांक 07.01.2019 के आदेश द्वारा निपटाया गया था। 07 जनवरी, 2019 के आदेश के माध्यम से, प्रतिवादी-विभाग को चार सप्ताह की अवधि के भीतर 1996 के नियम 227ए के खंड (vi) के परंतुक के अनुसार आरक्षित सूची अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया था।इसके अलावा, संबंधित जिला परिषदों को शेष रिक्त सीटों, यदि कोई हो, के संबंध में उक्त परंतुक के प्रावधानों के अनुसार कार्य करने का निर्देश दिया गया था।इसी तरह की अन्य रिट याचिकाओं पर भी उन्हीं शर्तों पर फैसला किया गया था और दिनांक 07/01/2019 के आदेश के खिलाफ राज्य द्वारा दायर विशेष अपील डी.बी. विशेष अपील रिट संख्या 924/2019 (प्रमुख सचिव शिक्षा विभाग (प्रारंभिक) एवं अन्य बनाम उर्मिला देवी एवं अन्य) को भी आदेश दिनांक 07/01/2020 द्वारा खारिज कर दिया गया था। हालांकि, विशेष अपील का निपटारा करते समय, खंडपीठ द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि अपीलकर्ता आज की तारीख में खाली पदों की सीमा तक ही प्रतीक्षा सूची का संचालन करेंगे।

उर्मिला देवी के मामले में (ऊपर) दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए, प्रतीक्षा/आरक्षित सूची जारी की गई थी और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा

14.09.2021 को प्रकाशित की गई थी।उपर्युक्त सूची में 874 उम्मीदवारों के नाम (रिक्त सीटों की कुल संख्या के बराबर) पाए गए।प्रतीक्षा/आरक्षित सूची में स्थान पाने वाले सभी 874 उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया था, लेकिन 14.09.2021 की प्रतीक्षा/आरक्षित सूची के संचालन के बाद भी 381 सीटें खाली रहीं।इसलिए, वर्तमान रिट याचिकाओं को निम्नलिखित प्रस्तुतियों के साथ कथित रिक्त पदों को भरने के लिए वरीयता दी गई हैः

सर्वप्रथम, विभाग द्वारा जारी कथित प्रतीक्षा/आरक्षित सूची दिनांक 14.09.2021 को नियम 1996 के नियम 277ए के संदर्भ में "चयन सूची" नहीं कहा जा सकता है; दूसरा, दिनांक 14.09.2021 की सूची को प्रतीक्षा/आरक्षित सूची भी नहीं कहा जा सकता है।यह केवल एक फेरबदल किया गया परिणाम था जो उन उम्मीदवारों को ध्यान में रखने के बाद जारी किया गया था जो दस्तावेज सत्यापन के बाद अनुपयुक्त पाए गए थे, तीसरे, प्रतीक्षा/आरक्षित सूची केवल उन सीटों के बराबर जारी की जा सकती थी जो उम्मीदवारों के कारण खाली रह गई थीं जो पहली चयनित सूची के अनुसरण में शामिल नहीं हुए थे।अन्य सीटों के संबंध में जो दस्तावेज सत्यापन के बाद अयोग्य घोषित किए गए उम्मीदवारों के कारण खाली रह गए थे, फेरबदल बाद परिणाम एक आदेश था और प्रतीक्षा/आरक्षित सूची के उम्मीदवारों को उक्त पदों के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जा सकता था और चौथा, दिनांक 14.09.2021 की सूची जारी करने में विभाग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया कानून के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी क्योंकि विभाग को पहले उपयुक्त अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन कर योग्य अभ्यर्थियों की चयन सूची को अंतिम रूप देना चाहिए था।इसके बाद प्रतीक्षा/आरक्षित सूची जारी की जानी चाहिए थी।प्रत्यर्थी विभाग ने इसके विपरीत कार्य किया है और अवैध रूप से पहले तथाकथित सूची जारी की है और फिर दस्तावेजों का सत्यापन किया है।इस तरह की विपरीत प्रक्रिया के कारण जो उम्मीदवार दस्तावेज सत्यापन के बाद चयन के लिए उपयुक्त नहीं पाए गए, उन्हें चयन सूची में शामिल किया गया, जबकि उन्हें चयनित नहीं माना जा सकता था।उक्त उम्मीदवारों को अंतिम चयन सूची से बाहर करने के बाद में बाद की प्रतीक्षा/आरक्षित सूची जारी की जा सकती थी।

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता श्री सुशील बिश्नोई ने कहा कि यह तथ्य कि विभाग ने गलत और विपरीत प्रक्रिया अपनाई, रिकॉर्ड में रखे गए दस्तावेजों से भी स्पष्ट है।उनमें से एक वर्ष 2021 का विज्ञापन था जिसे हालांकि बाद में वापस ले लिया गया था, दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम चयन सूची जारी करने की प्रक्रिया के लिए जारी किया गया।

अन्य दस्तावेज जो इस तथ्य को और पुष्ट करते हैं, वे हैं विशेष शिक्षा शिक्षकों की भर्ती के लिए जारी विज्ञापन तथा खिलाडिय़ों के मामले में जिनमें राज्य सरकार द्वारा ही यह निर्देश दिया गया है कि चयन सूची अंतिम तक संचालित की जाए और कोई भी सीट खाली न रहे।

इसके विपरीत, विद्वत अपर महाधिवक्ता श्री पंकज शर्मा ने प्रत्यर्थी राज्य की ओर से पेश होते हुए प्रस्तुत किया कि वर्तमान रिट याचिकाएं पूरी तरह से गलत हैं क्योंकि वर्तमान याचिकाओं के माध्यम से, वर्ष 2016 के विज्ञापन (2017 में पुनरीक्षित/संशोधित) द्वारा अधिसूचित चयन प्रक्रिया को वर्ष 2021 में चुनौती देने की मांग की गई है।विद्वत अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान भर्ती प्रक्रिया को विज्ञापन द्वारा बहुत अच्छी तरह से अधिसूचित किया गया था और याचिकाकर्ताओं ने केवल कथित विज्ञापन के संदर्भ में भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया.उक्त प्रक्रिया में भाग लेने के बाद, याचिकाकर्ताओं को अब स्वयं प्रक्रिया को चुनौती देने से रोक दिया गया है और वह भी, जब, जहां तक विभाग का संबंध है, भर्ती प्रक्रिया स्वयं पूरी हो चुकी है ।

इसके अलावा, दिनांक 30.08.2017 के कार्यालय आदेश में प्रश्न में भर्ती आयोजित करने/पूरी करने की प्रक्रिया के लिए विशेष रूप से प्रावधान किया गया है और उक्त आदेश के माध्यम से, यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया है कि उम्मीदवारों द्वारा दी गई वरीयता के आधार पर जिलेवार मेरिट सूची तैयार की जाएगी और इसे संबंधित जिला परिषदों को भेजा जाएगा।तब संबंधित जिला परिषद, उम्मीदवार के दस्तावेजों और उपयुक्तता के सत्यापन के बाद, उम्मीदवार को उसकी योग्यता के आधार पर नियुक्ति की पेशकश करेगा।

2016 की भर्ती प्रक्रिया के बाद 2018 की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है और यह पूरी भी हो चुकी है तथा राज्य द्वारा नई भर्ती प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है।यहां तक कि रिक्त सीटों के लिए ताजा विज्ञापन 31.12.2021 को जारी किया गया था, हालांकि, बाद में इसे 10.02.2022 को वापस ले लिया गया था।लेकिन यह स्पष्ट है कि शेष रिक्तियों को आगे बढ़ाया गया है और 2016 की प्रक्रिया सभी उद्देश्यों के लिए समाप्त हो गई है।

विद्वत एएजी ने विज्ञापन के खंड 12 पर भरोसा किया, जिसमें विशेष रूप से भर्ती के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का प्रावधान था, जिसमें उपर्युक्त प्रक्रिया निर्धारित की गई थी।विद्वान एएजी ने आगे उम्मीदवारों द्वारा इस आशय की घोषणा की ओर इशारा किया कि वे इस तथ्य से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि वर्तमान चयन से पहले दस्तावेजों का सत्यापन नहीं किया गया है, उन्हें नियुक्ति के समय इन्हे प्रस्तुत करना होगा। .इसका मतलब यह है कि शुरुआत में ही यह स्पष्ट था कि उम्मीदवारों द्वारा प्रदान की गई ऑनलाइन जानकारी के आधार पर चयन सूची जारी करने और फिर नियुक्ति प्रदान करने से पहले दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया थी।इसलिए, विज्ञापन की शर्तों के अनुसार प्रक्रिया को अपनाने में विभाग सही था और उक्त प्रक्रिया में भाग लेने वाले उम्मीदवार अब पूरी प्रक्रिया को ही चुनौती नहीं दे सकते हैं।

यह भी प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसरण में प्रतीक्षा/आरक्षित सूची विभाग द्वारा 14.09.2021 को बहुत अच्छी तरह से जारी की गई थी और इसे प्रभावी भी किया गया था। यह याचिकाकर्ताओं का मामला नहीं है कि 14.09.2021 की आरक्षित सूची पर कार्रवाई नहीं की गई थी या उसे प्रभावी नहीं किया गया था। तथापि, 1996 के नियमों के नियम 277ए के अनुसार, आरक्षित सूची छह महीने की अवधि के बाद अपनी पवित्रता खो देती है।

अधिवक्ता ने आगे कहा कि नियम 277ए में किसी प्रतीक्षा सूची का उल्लेख नहीं है।प्रावधान केवल एक आरक्षित सूची प्रदान करता है और वह भी अंतिम रूप से सूचित रिक्तियों के 50% तक।वर्तमान मामले में, शेष रिक्त सीटों की कुल संख्या की सीमा तक प्रतीक्षा/आरक्षित सूची पहले ही जारी

की जा चुकी है जो स्पष्ट रूप से अंतिम सूचित रिक्तियों का 50 प्रतिशत से अधिक है।इसलिए, नियम 277A के संदर्भ में कोई और आरक्षित सूची जारी नहीं की जा सकती है क्योंकि नियम 277A का अनुपालन प्रतिवादी-विभाग द्वारा अपने पत्र और भावना में किया गया है।वर्तमान याचिकाओं में प्रार्थना अंततः दूसरी प्रतीक्षा/आरक्षित सूची जारी करने के लिए है जिसे कानून के किसी भी प्रावधान के तहत स्वीकार्य नहीं कहा जा सकता है.कोई भी कानून दूसरी प्रतीक्षा/आरक्षित सूची जारी करने का प्रावधान नहीं करता है।

यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि जो भी अधिकार, वर्तमान याचिकाकर्ताओं को केवल उर्मिला देवी के मामले में पारित पहले के फैसले के आधार पर प्राप्त हुआ है.उक्त निर्णय में भी, प्रतीक्षा/आरक्षित सूची जारी करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में कोई निर्देश नहीं था.इसके अलावा, चयन सूची जारी करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को उक्त याचिका में भी चुनौती नहीं दी गई थी।

वर्ष 2016 की भर्ती प्रक्रिया, दिनांक 14.09.2021 की प्रतीक्षा/आरक्षित सूची के प्रभावी होने के बाद अब समाप्त हो गई है और राज्य विभाग को प्रतीक्षा/आरक्षित सूची जारी करने और इसे स्थायी रूप से प्रभावी करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है।

यह कानून का स्थापित प्रस्ताव है कि जिन उम्मीदवारों को प्रतीक्षा सूची में भी जगह मिलती है, वे भी, अधिकार के रूप में, नियुक्त होने का दावा नहीं कर सकते हैं और यहां ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें प्रतीक्षा सूची में भी जगह नहीं मिली है।इसलिए, किसी भी तरह से, ये उम्मीदवार पहले दूसरी प्रतीक्षा सूची जारी करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और फिर उक्त प्रतीक्षा सूची के आधार पर नियुक्ति के लिए कह सकते हैं जो आज तक अस्तित्व में भी नहीं है।

उक्त प्रस्तुतियों के साथ, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने वर्तमान रिट याचिकाओं को खारिज करने के लिए प्रार्थना की.विद्वान अधिवक्ता ने अपनी दलीलों के समर्थन में निम्नलिखित मामलों में दिए गए निर्णयों पर विश्वास किया: राजस्थान राज्य और अन्य बनाम जगदीश चोपड़ा; (2007) 8 एससीसी 161, जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य बनाम सतपाल; (2013) 11 एससीसी 737, सरिता चौधरी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य; 2016(2)

डब्ल्यूएलसी (राज.) 288, हरीश नागपाल बनाम राज्य व अन्य; 2016 डब्ल्यूएलसी (राज.) यूसी 251 और संगीता बनाम राजस्थान राज्य; (2014) 3 एलएलजे 230।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वत अधिवक्ता ने प्रत्युत्तर में कहा कि वर्ष 2021 की नई भर्ती प्रक्रिया को निश्चित रूप से बाद में वापस ले लिया गया है और इसलिए, सीटों को आज की तारीख में रिक्त माना जाएगा।इसके अलावा, वर्ष 2018 की भर्ती प्रक्रिया के शुरू होने के तथ्य पर उर्मिला देवी के पहले के फैसले में पहले ही विचार किया जा चुका था और इसलिए, अब इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि वर्ष 2016 की भर्ती प्रक्रिया के अनुसरण में नियुक्तियां अभी भी प्रतिवादी-विभाग द्वारा दी जा रही हैं और इसलिए, राज्य की ओर से दिया गया यह तर्क कि प्रक्रिया सभी उद्देश्यों के लिए पूरी हो चुकी है, गलत साबित होती है।अपनी प्रस्तुतियों के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने फरवरी, मार्च और अप्रैल, 2022 के महीनों से संबंधित कुछ कार्यालय आदेशों पर भरोसा किया, जिसके तहत 2016 की भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित उम्मीदवारों को नियुक्तियां प्रदान की गई हैं।समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने **दिनेश कुमार कश्यप और अन्य बनाम दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे और अन्य (2019) 12 एससीसी 798** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ के निर्णय पर भरोसा किया।

पक्षकारों के विद्वत अधिवक्ता को सुना और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

ऊपर वर्णित तथ्यों के एक मात्र अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि उर्मिला देवी (उपरोक्त) और अन्य समान मामलों के मामले में पारित आदेश के परिणामस्वरूप वर्तमान याचिकाकर्ताओं को किसी भी राहत का दावा करने का अधिकार प्राप्त हुआ है।प्रश्न में मुद्दे की पूरी समझ के लिए और उसके न्यायनिर्णयन के लिए, उर्मिला देवी के मामले में दिनांक 07.01.2019 को पारित पूर्ण आदेश की प्रतिलिपि आवश्यक है और इसलिए इसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

"याचिकाकर्ताओं के विद्वत अधिवक्ता रिट याचिका में की गई प्रार्थना को सीमित करते हैं कि चयनित उम्मीदवारों के शामिल न होने के कारण

उपलब्ध रिक्तियों के लिए प्रतीक्षा सूची घोषित की जाए।याचिकाकर्ताओं के विद्वत अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान रिट याचिका में उठाया गया मुद्दा भूषण कुमार पंड्या बनाम राजस्थान राज्य और अन्य: एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14505/2018 में 25 अक्टूबर 2018 को दिए गए फैसले में पूरी तरह से शामिल है।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि दिनांक 11.09.2017 के संशोधित विज्ञापन के अनुसरण में, चयनित सूचियां जारी की गईं और नियुक्तियां की गईं, हालांकि, कई चयनित उम्मीदवार शामिल नहीं हुए हैं, तथापि, प्रत्यर्थियों ने राजस्थान पंचायती राज नियम, 1994 ('1994 के नियम') के नियम 227ए के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया, जिसके लिए प्रतीक्षा सूची जारी करने और उक्त प्रतीक्षा सूची से नियुक्तियां करने की आवश्यकता थी।

प्रत्यर्थियों के विद्वत अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि याचियों ने केवल इस धारणा के आधार पर याचिका दायर की है कि कई उम्मीदवार जिनका चयन हुआ है, शामिल नहीं हुए हैं और यह कि 11.9.2017 के विज्ञापन द्वारा विज्ञापित पदों के अनुसार रिक्तियां उपलब्ध हैं।

मैंने पक्षकारों के विद्वत अधिवक्ताओं द्वारा दी गई प्रस्तुतियों पर विचार किया है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

इस न्यायालय ने भूषण कुमार पंड्या (पूर्वोक्त) के मामले में अन्य बातों के साथ-साथ 1994 के नियमों के नियम 227ए के प्रावधानों पर विचार करने के बाद निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचा और निम्नानुसार निदेश दियाः- -

"नियमों के नियम 277ए के खंड (vi) के परंतुक का अवलोकन करने पर पता चलता है कि अंतिम रूप से सूचित रिक्तियों के 50% तक अधिकृत एजेंसी उपयुक्त उम्मीदवारों के नाम आरक्षित सूची में रख सकती है।इसके अतिरिक्त, प्राधिकृत अभिकरण मांग करने पर उस तारीख से, जिस तारीख को प्राधिकृत अभिकरण द्वारा मूल सूची अग्रेषित की गई थी, छह माह के भीतर संबंधित जिला परिषद को योग्यताक्रम में ऐसे उम्मीदवार के नाम की सिफारिश कर सकता है।

विज्ञापन में दिए गए अनुबंध के साथ पठित उक्त खंड स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि यह केवल जिला परिषद के स्तर पर है जहां चयनित और अधिकृत एजेंसी द्वारा आवंटित उम्मीदवारों के दस्तावेजों, पात्रता आदि की जांच की जाती है और यदि पात्र चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति के बाद रिक्तियां जिला परिषद स्तर पर रहती हैं, तो जिला परिषद को अधिकृत एजेंसी से आरक्षित सूची से और नाम मांगने होंगे और ऐसे नाम मांगने पर, अधिकृत एजेंसी को संबंधित जिला परिषद को नाम भेजना होगा और मूल सूची को प्राधिकृत एजेंसी द्वारा अग्रेषित किए जाने की तारीख से छह महीने के भीतर यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, जब 1492 पदों का विज्ञापन दिया गया था और चयनित सूची में केवल 1379 उम्मीदवारों के नाम थे, जैसा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दाखिल किया गया था, तो जाहिर है कि रिक्तियां मौजूद हैं और इसलिए, याचिकाकर्ताओं जैसे उम्मीदवार, जिनका चयन नहीं किया गया है, एक वैध उम्मीद रखते हैं कि यदि उनके नाम आरक्षित सूची में दिखाई देते हैं, तो उन्हें नियुक्ति का अवसर मिल सकता है।

प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कथन कि प्रावधान के निर्देशात्मक होने के नाते और केवल प्राधिकृत एजेंसी को आरक्षित सूची में उपयुक्त उम्मीदवारों के नाम 'रखने' की अनुमति होने से प्रतिवादियों को उक्त सूची को प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है, इसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।एक बार प्रावधान उपयुक्त उम्मीदवारों को आरक्षित सूची में रखने का प्रावधान करता है, तो उसे उत्तरदाताओं द्वारा प्रकाशित किया जाना चाहिए ताकि संबंधित उम्मीदवारों को आरक्षित सूची में उनकी स्थिति के बारे में जानकारी हो सके।इसके अतिरिक्त, एक बार संबंधित जिला परिषद के लिए रिक्त पदों के लिए प्राधिकृत अभिकरण से छह मास की अवधि के भीतर उपयुक्त उम्मीदवारों के नाम मांगने का उपबंध होने पर, सामान्यतः उक्त पहलू का भी पालन किया जाना चाहिए ताकि भर्ती को पूर्ण बनाया जा सके और सामान्य परिस्थितियों में वे सूची को समाप्त नहीं होने दें। उपर्युक्त तथ्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जिसमें उम्मीदवारों की पात्रता आदि की जांच संबंधित जिला परिषदों के स्तर पर की जानी है, वहां पहले से ही रिक्त पद उपलब्ध हैं, क्योंकि अधिकृत एजेंसी ने विज्ञापित

रिक्तियों के लिए पूर्ण नामों की सिफारिश नहीं की है, यह चीजों की उपयुक्तता में होगा, आरक्षित सूची जिसे नियमों के नियम 277 ए के खंड (vi) के परंतुक के संदर्भ में अधिकृत एजेंसी द्वारा तैयार किए जाने की आवश्यकता है, नियमों और आवश्यकताओं के संदर्भ में प्रकाशित और संचालित की जानी चाहिए।

नतीजतन, याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है.प्रतिवादी-प्राधिकृत एजेंसी अर्थात प्रत्यर्थी संख्या 3 को आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर नियमों के नियम 277 ए के खंड (vi) के परंतुक के अनुसार आरक्षित सूची अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया जाता है।इसके अलावा संबंधित जिला परिषदों को रिक्तियों और आरक्षित सूची के संबंध में उक्त परंतुक के प्रावधानों के अनुसार कार्य करने का भी निर्देश दिया गया है।"

इस न्यायालय द्वारा 1994 के नियमों के नियम 227 ए के प्रावधानों की व्याख्या को ध्यान में रखते हुए, यदि दिनांक 11.9.2017 के विज्ञापन के अनुसरण में रिक्तियां उपलब्ध हैं, तो उक्त नियम के प्रावधान लागू होंगे और प्रतिवादियों से भूषण कुमार पंड्या (उपर्युक्त) के मामले में निर्देश के अनुसार आवश्यक कार्य करने की आवश्यकता होगी।

नतीजतन, याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।प्राधिकृत एजेंसी अर्थात प्रतिवादी संख्या 3 को आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर अपनी वेबसाइट पर 1994 के नियम 227 ए के खंड (vi) के परंतुक के अनुसार आरक्षित सूची अपलोड करने का निर्देश दिया जाता है।इसके अतिरिक्त, संबंधित जिला परिषदों को विज्ञापित पदों और आरक्षित सूची के संबंध में रिक्तियों के संबंध में उक्त परंतुक के उपबंधों के अनुसार कार्य करने का निदेश दिया जाता है।"

दिनांक 07. 01. 2019 के आदेश पर राज्य द्वारा डी. बी. विशेष अपील रिट संख्या 924/2019 के माध्यम से हमला किया गया था और 07.01.2020 के आदेश के माध्यम से, खंडपीठ ने निम्नलिखित टिप्पणी के साथ विशेष अपील को खारिज कर दियाः

"उपर्युक्त तथ्यात्मक मैट्रिक्स के आलोक में, आक्षेपित आदेश किसी भी हस्तक्षेप की मांग नहीं करता है और तदनुसार अपील खारिज की जाती

है.तथापि, अपीलकर्ताओं को दिनांक 11.09.2017 के विज्ञापन द्वारा संशोधित दिनांक 06.07.2016 के विज्ञापन के अनुसरण में आज की तारीख में केवल रिक्त पदों की सीमा तक प्रतीक्षा सूची को संचालित करने का निर्देश दिया जाता है।सभी लंबित आवेदनों को भी खारिज किया जाता है।"

खंडपीठ द्वारा दिनांक 07.01.2019 को दिए गए आदेश का केवल अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि सबसे पहले प्रतिवादी विभाग को 1996 के नियमों के नियम 277ए के खंड (vi) के परंतुक के अनुसार आरक्षित सूची अपलोड करनी थी और दूसरा संबंधित जिला परिषद को उक्त परंतुक के प्रावधानों के अनुसार कार्य करना था।1996 के नियमों के नियम 277क का उपखंड (vi) और उक्त खंड का परन्तुक इस प्रकार हैः

"(vi)अधिकृत एजेंसी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित चयन मानदंडों के आधार पर सफल घोषित किए गए उम्मीदवारों की श्रेणीवार चयन सूची तैयार करेगीः

परन्तु प्राधिकृत एजेंसी अंतिम रूप से सूचित रिक्तियों के पचास प्रतिशत तक उपयुक्त उम्मीदवारों के नाम आरक्षित सूची में रख सकती है। अधिकृत एजेंसी मांग करने पर मूल सूची के प्राधिकृत एजेंसी द्वारा अग्रेषित किए जाने की तारीख से छह महीने के भीतर ऐसे उम्मीदवार के नाम की सिफारिश योग्यता के क्रम में संबंधित जिला परिषद को कर सकती है।"

उपर्युक्त उपखंड (vi) में राज्य द्वारा निर्धारित चयन के मानदंडों के आधार पर चयन सूची का प्रावधान है।यह स्वीकार किया जाता है कि प्रश्नगत भर्ती के संबंध में मानदंड और चयन प्रक्रिया दिनांक 11.09.2017 के विज्ञापन में ही निर्धारित की गई थी।विज्ञापन का खंड 10 निम्नानुसार उपबंधित हैः

> "10. भर्ती प्रक्रिया-
>
> 1. उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती हेतु वरियता सूची में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत उत्तीर्णांक अर्जित करना अनिवार्य होगा । परन्तु राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.7(I)EE/PLAN/2011

दिनांक 29-08-2012 के अनुसार अधिसूचित क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 36 प्रतिशत उत्तीर्णांक अनिवार्य होगा । अधिसूचना जारी होने से पूर्व आयोजित हुई आरटेट 2011 के संबंध में उन्हें यह छूट देय नहीं होगी ।

2. राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (2011, 2012 और 2015) में से अधिकतम प्राप्तांक प्रतिशत का 70 प्रतिशत एवं स्नातक परीक्षा में कुल प्राप्तांक प्रतिशत का 30 प्रतिशत लिया जाकर कुल 100 प्रतिशत में से राज्य स्तरीय मैरिट बनाई जायेगी ।

3. अभ्यर्थियों द्वारा दी गई जिले की प्राथमिकता के आधार पर जिला आंवटन कर जिलेवार सूची नियुक्ति हेतु संबंधित जिला परिषदों को भेजी जायेगी । जिला परिषदों द्वारा अभ्यर्थियों की पात्रता एवं दस्तावेजों की जांच करने के पश्चात मैरिट के आधार पर नियमानुसार नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी ।"

आगे विज्ञापन कि-के क्लॉज 12(5) में यह भी बताया गया है

"5. आवेदकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पर उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर ही वरियता सूची बनायी जावेगी । उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की वैधता की जांच नहीं की गई है, अतः इस संबंध में पात्रता संबंधी समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा । पात्रता संबंधी दस्तावेजों की जांच के समय पात्र नहीं पाये या अभ्यर्थी के अनुपस्थित होने पर वह अभ्यर्थी अपात्र माना जायेगा ।"

इसके अलावा, दिनांक 30.08.2017 के कार्यालय आदेश द्वारा, इस न्यायालय द्वारा खंड पीठ विशेष अपील रिट संख्या 1464/2016 में 27/04/2017 को पारित आदेश के अनुसरण में विशिष्ट दिशानिर्देश जारी किए गए थे, जिसमें इसे विशेष रूप से निम्नानुसार प्रदान किया गया था:

"5. अभ्यर्थियों द्वारा दी  जिले की प्राथमिकता के आधार पर प्राधिकृत अभिकरण द्वारा जिलेवार सूची तैयार कर नियुक्ति हेतु संबंधित जिला परिषदों को भिजवायी जावे। जिला परिषदों द्वारा अभ्यर्थियों की पात्रता एवं दस्तावेजों की जांच करने के पश्चात मेरिट के आधार पर नियमानुसार नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी ।"

विज्ञापन की उपरोक्त सभी शर्तों के साथ-साथ दिशानिर्देशों का एक संचयी पठन यह स्पष्ट करता है कि शुरुआत से ही, प्रश्नगत भर्ती के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, प्रथम, अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी ऑनलाईन सूचनाओं के आधार पर तैयार की गयी योग्यता के आधार पर चयन सूची तैयार करना तथा द्वितीय, ऐसे चयनित अभ्यर्थियों की वरीयता के आधार पर जिलेवार सूची तैयार कर अभ्यर्थियों को वरीयता जिला आवंटित करना तथा संबंधित जिला परिषद को उक्त जिलेवार सूची अग्रेषित करें और, तृतीय और अंतिम, जिला परिषद उम्मीदवारों के दस्तावेजों और उपयुक्तता का सत्यापन करेगी और फिर योग्यता के आधार पर नियुक्ति देगी।इसलिए, राज्य द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया स्पष्ट रूप से विज्ञापन द्वारा निर्धारित मानदंडों और प्रक्रिया के अनुरूप है।इसे अविधिमान्य या 1996 के नियमों के नियम 277क (vi) के प्रावधानों के विपरीत नहीं ठहराया जा सकता।इसलिए इसमें याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रक्रिया को दी गई चुनौती को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई प्रक्रिया के बारे में उठाए गए आधार में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है.साथ ही, उन परिस्थितियों में जब वर्ष 2016 से वर्ष 2021 तक की संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया के दौरान याचिकाकर्ताओं द्वारा उक्त प्रक्रिया को कभी भी चुनौती नहीं दी गई थी।कथित आधार स्पष्ट रूप से पहले की रिट याचिका में भी नहीं उठाया गया था और इसलिए, यह न्यायालय कथित आधार पर वर्तमान याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है।

दिनांक 14.09.2021 की सूची के संबंध में याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया दूसरा आधार, 1996 के नियमों के नियम 277ए के परंतुक के अनुरूप आरक्षित/प्रतीक्षा सूची नहीं होना, केवल इस आधार पर भी तर्कसंगत नहीं ठहराया जा सकता है कि नियम 277ए का परंतुक

केवल अंतिम रूप से सूचित रिक्तियों के 50% की सीमा तक आरक्षित सूची का प्रावधान करता है।बेशक, वर्तमान मामले में, रिक्त सीटों की कुल संख्या के बराबर आरक्षित सूची पहले ही जारी की जा चुकी है और यहां तक कि उस पर अमल भी किया जा चुका है।उक्त सूची उर्मिला देवी के मामले में इस न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में जारी की गई थी और उर्मिला देवी में जारी किए गए निर्देशों से यह स्पष्ट होता है कि यह 1996 के नियमों के नियम 277ए के अनुरूप जारी की जाने वाली आरक्षित सूची के लिए थी और इससे अधिक कुछ नहीं।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, नियम केवल 50% रिक्तियों के बराबर एक प्रतीक्षा/आरक्षित सूची का प्रावधान करता है और उक्त सीमा का विभाग द्वारा पहले ही अनुपालन किया जा चुका है, इसलिए विज्ञापित सभी रिक्तियों को भरने तक आरक्षित सूची जारी रखने का आगे निर्देश नहीं दिया जा सकता है।

यह कानून का स्थापित प्रस्ताव है कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायालय विभाग के निर्णय को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते और प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों को नियुक्त करने का निर्देश नहीं दे सकते।यह भी कानून का स्थापित प्रस्ताव है कि चयनित सूची को नियुक्तियों के उद्देश्य के लिए एक संग्रह  नहीं माना जा सकता है, ताकि जब भी आवश्यकता हो, उस सूची से नाम लेते हुए रिक्ति को भरा जा सके।यह भी कानून का स्थापित प्रस्ताव है कि कोई भी व्यक्ति केवल इसलिए नियुक्त किए जाने का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं करता है क्योंकि उसका नाम चयन सूची में है।

जहां तक प्रतीक्षा सूची जारी करने, प्रतीक्षा सूची की वैधता, प्रतीक्षा सूची के अस्तित्व में रहने और प्रचालन में रहने तक की अवधि, नियुक्त की जाने वाली प्रतीक्षा सूची में स्थान पाने वाले उम्मीदवारों के अधिकारों आदि से संबंधित विधि का संबंध है, वह अनिर्णीत विषय नहीं है।उपर्युक्त सभी मुद्दों पर कानून अच्छी तरह से तय किया गया है।प्रतीक्षा सूची से संबंधित मुद्दों पर इस न्यायालय के साथ-साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लगभग सभी पूर्व निर्णयों के विस्तृत विश्लेषण/चर्चा के बाद, राजस्थान राज्य और अन्य बनाम डॉ. कृष्ण जोशी और एक अन्य डी. बी. सिविल विशेष अपील

(रिट) संख्या 81/2020 (13.12.2022 को फैसला किया गया) के विशेष अपीलों के बैच में इस न्यायालय के नवीनतम खंडपीठ के फैसले में, न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में निर्णय दियाः

"इस पृष्ठभूमि में, याचियों के नियुक्ति का अजेय अधिकार होने के दावे को माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस स्थापित सिद्धांत को लागू करते हुए अस्वीकार कर दिया कि प्रतीक्षा सूची में केवल शामिल होने से कोई अधिकार नहीं मिलता है और यह कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में तैयार की गई प्रतीक्षा सूची भर्ती के बारहमासी स्रोत को प्रस्तुत नहीं करती है और आगे यह कि यह केवल आकस्मिक स्थिति के लिए है कि यदि चयनित उम्मीदवारों में से कोई शामिल नहीं होता है तो प्रतीक्षा सूची से व्यक्ति को आगे बढ़ाया जा सकता है और रिक्त स्थान पर नियुक्त किया जा सकता है या यदि कोई अत्यधिक आवश्यकता है, तो सरकार नीतिगत निर्णय के रूप में प्रतीक्षा सूची से योग्यता के क्रम में व्यक्तियों को उठा सकती है।एक विस्तृत कानूनी प्रस्ताव कि एक परीक्षा में प्रतीक्षा सूची भविष्य में नियुक्तियों के लिए एक अनंत स्टॉक के रूप में काम नहीं करेगी, को एक तय कानूनी स्थिति के रूप में प्रस्तुत किया गया कि रिक्तियों को विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से अधिक नहीं भरा जा सकता है। "

गुजरात राज्य उप कार्यकारी अभियंता संघ बनाम गुजरात राज्य और अन्य, 1994 अनुपूरक (2) उच्चतम न्यायालय के मामले 591 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतीक्षा सूची के प्रचालन से संबंधित विधि का भी प्रतिपादन किया गया है।माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया हैः

“9.A आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में तैयार की गई प्रतीक्षा सूची भर्ती का स्रोत नहीं देती है।यह केवल आकस्मिकता के लिए लागू है कि यदि चयनित उम्मीदवारों में से कोई भी शामिल नहीं होता है, तो प्रतीक्षा सूची के व्यक्ति को ऊपर धकेल दिया जा सकता है और इस तरह की रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है या यदि कोई अत्यधिक अत्यावश्यकता है तो सरकार नीतिगत निर्णय के रूप में प्रतीक्षा सूची से योग्यता के क्रम में व्यक्तियों को चुन सकती है।लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि चूंकि रिक्तियों पर उचित रूप से काम नहीं किया गया है,

इसलिए प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवार नियुक्त किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं, यह सही प्रतीत नहीं होता है।इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप उन उम्मीदवारों को वंचित किया जा सकता है जो भविष्य में उपलब्ध रिक्तियों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए पात्र हो जाते हैं।यदि एक परीक्षा में प्रतीक्षा सूची को नियुक्तियों के लिए अनंत स्टॉक के रूप में संचालित किया जाना था, तो इस बात का खतरा है कि राज्य सरकार वर्षों तक एक साथ परीक्षा आयोजित नहीं करने और आवश्यकता पड़ने पर प्रतीक्षा सूची से उम्मीदवारों को चुनने का उपाय कर सकती है।संवैधानिक अनुशासन की अपेक्षा है कि इस न्यायालय को शक्ति के ऐसे अनुचित प्रयोग की अनुमति नहीं देनी चाहिए जिसके परिणामस्वरूप निहित स्वार्थ पैदा हो और नए उम्मीदवारों के पूरे समूह की कीमत पर या तो खुले से या सेवा से भी एक परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए प्रतीक्षा सूची बनाई जा सके।"

उपरोक्त उदाहरणों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रतीक्षा सूची का संचालन केवल तभी किया जा सकता है जब चयनित उम्मीदवार शामिल नहीं होते हैं या सरकार अत्यधिक आवश्यकता के मामलों में ऐसा करने के लिए नीतिगत निर्णय लेती है।किसी अन्य परिस्थिति में प्रतीक्षा सूची का संचालन नहीं किया जा सकता।इसके अलावा, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह चयन सूची में ही क्यों न हो, नियुक्ति का अजेय अधिकार प्राप्त नहीं है।

याचिकाकर्ताओं के विद्वत अधिवक्ता द्वारा जिन फैसलों पर भरोसा किया गया वे उन मामलों से संबंधित हैं, जिनमें विभाग द्वारा प्रतीक्षा सूची या तो तैयार नहीं की गई थी/घोषित नहीं की गई थी या कानून के संदर्भ में उसका संचालन नहीं किया गया था।इन परिस्थितियों में, न्यायालयों ने अनुमति दी और राज्य अधिकारियों को प्रतीक्षा/आरक्षित सूची घोषित करने और उसे संचालित करने का निर्देश दिया।उक्त निर्णय वर्तमान मामलों पर लागू नहीं होंगे क्योंकि इसमें वे मामले हैं जहां राज्य ने न केवल प्रतीक्षा/आरक्षित सूची की घोषणा की है बल्कि अंतिम समय तक उसका संचालन भी किया है।वर्तमान रिट याचिकाओं में प्रार्थना अनिवार्य रूप से दूसरी प्रतीक्षा/आरक्षित सूची की घोषणा के लिए है।इस न्यायालय की विशिष्ट राय में, ऐसा कोई कानून नहीं है जो पहली प्रतीक्षा सूची के संचालन

और समाप्त होने के बाद किसी दूसरी प्रतीक्षा या आरक्षित सूची की घोषणा का प्रावधान करता है।

इसलिए यह स्पष्ट है कि वर्तमान रिट याचिकाओं को दाखिल करने की तारीख पर, याचिकाकर्ताओं के पास कोई जीवित अधिकार नहीं था जिसे प्रवर्तनीय माना जा सकता है.बेशक, जिस तारीख को याचिकाएं दायर की गई थीं, उस तारीख को पहली प्रतीक्षा/आरक्षित सूची समाप्त हो गई थी और जिन याचिकाकर्ताओं को कथित प्रतीक्षा सूची में जगह नहीं मिली थी, उनका उस तारीख पर कोई अस्तित्व नहीं था।

डॉ. श्री कृष्ण जोशी के मामले (उपरोक्त) में **यूपी राज्य और अन्य बनाम हरीश चंद्र और अन्य (1996) 9 सुप्रीम कोर्ट केस 309** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए, न्यायालय ने निम्नानुसार देखा:

"36. उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम हरीश चंद्र और अन्य (पूर्वोक्त) के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान के तहत, अदालत द्वारा एक जनादेश जारी किया जा सकता है जब उसमें याचिकाकर्ता यह स्थापित करता है कि उसे उस पक्ष द्वारा कानूनी कर्तव्य के पालन का कानूनी अधिकार है जिसके खिलाफ परमादेश की मांग की गई है और उक्त अधिकार याचिका की तारीख को अस्तित्व में था।यह निर्णय दिया गया कि सरकार को कानून के प्रावधान को लागू करने से रोकने या कानून के विपरीत कुछ करने का निर्देश देने के लिए कोई जनादेश जारी नहीं किया जा सकता है।तथ्यों पर, यह पाया गया कि प्रतिवादियों को भर्ती करने का निर्देश, जो उस चयन सूची में शामिल थे, जो याचिका दायर होने पर अस्तित्व में नहीं रही, कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सका क्योंकि जिस दिन याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया उस दिन कोई अस्तित्व का अधिकार नहीं था।

फिर से उस मामले के विशिष्ट तथ्यों के आधार पर परमादेश मांगने के पक्ष के अधिकार के मुद्दे पर कि जिस दिन याचिका दायर की गई थी, उस दिन चयन दंड की समाप्ति के कारण कोई निर्वाह अधिकार नहीं था, राहत से इनकार किया गया था।"

जैसा कि हरीश चंद्र के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय और श्री कृष्ण जोशी के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा आयोजित किया गया था, अदालत द्वारा परमादेश तभी जारी किया जा सकता है जब यह रिकॉर्ड पर स्थापित हो जाए कि इसके लिए प्रार्थना करने वाले पक्षकार को उस पक्षकार द्वारा, जिसके विरुद्ध परमादेश मांगा गया है, विधिक कर्तव्य का पालन कराने का विधिक अधिकार है और कथित अधिकार याचिका दाखिल करने की तारीख को अस्तित्व में था। बेशक, वर्तमान याचिकाकर्ताओं को वर्तमान याचिकाओं को प्रस्तुत किए जाने की तारीख पर कोई अस्तित्व में अधिकार नहीं था और इसलिए, सरकार को कुछ करने का निर्देश देने के लिए कोई जनादेश जारी नहीं किया जा सकता है जो कानून के विपरीत है।

कानून के अनुसार, यहां तक कि एक व्यक्ति जो चयन सूची में स्थान पाता है, वह भी नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता है और यहां ऐसे लोग हैं जिन्हें रिजर्व सूची में भी स्थान नहीं मिला है और वे पहली प्रतीक्षा सूची जारी होने, संचालित होने और समाप्त होने के बाद दूसरी प्रतीक्षा सूची की घोषणा के लिए एक परमादेश जारी करने की मांग कर रहे हैं।इस न्यायालय की विशिष्ट राय में, दिनांक 14.09.2021 की प्रतीक्षा/आरक्षित सूची पूरी तरह से 1996 के नियमों के अनुरूप थी।स्थायी रूप से अस्तित्व में रहने के लिए कोई रिक्ति आयोजित नहीं की जा सकती है और किसी भी राज्य को कानून के प्रावधानों के पूर्ण उल्लंघन में दूसरी प्रतीक्षा सूची जारी करने और संचालित करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है।

जहां तक याचिकाकर्ताओं के विद्वत अधिवक्ता द्वारा फरवरी, मार्च और अप्रैल, 2022 के महीनों से संबंधित आदेशों का संबंध है, इसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उन उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं, जिन्हें अधिकृत एजेंसी द्वारा दिनांक 14.09.2021 की प्रतीक्षा/आरक्षित सूची में जगह मिली थी और जिनके नाम संबंधित जिला परिषद को भेजे गए थे और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, संबंधित जिला परिषद ने उन्हें उपयुक्त पाया, उनके पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी किए।आदेशों का केवल अवलोकन यह भी स्पष्ट करता है कि संबंधित जिला परिषद द्वारा मार्च, 2022 तक नवीनतम निर्णय लिया गया था, उसके बाद नहीं।मतलब इस प्रकार, दिनांक 14/09/2021 की आरक्षित/प्रतीक्षा सूची जारी होने के 6 माह की निर्धारित अवधि के भीतर उक्त निर्णय लिए गए हैं यानी प्रतीक्षा सूची के अस्तित्व में

रहने की अवधि तक।इसलिए, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि राज्य ने आरक्षित सूची जारी होने से 6 महीने की अवधि समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान की है।

याचिकाकर्ताओं द्वारा कुलदीप कुमार बनाम राजस्थान राज्य के मामले के समान निर्देश जारी करने के लिए की गई प्रार्थना के संबंध में; एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 2094/2019 (25.02.2021 को निर्णय लिया गया), इतना ही कहना पर्याप्त है कि उक्त प्रार्थना भी स्वीकार नहीं की जा सकती क्योंकि उक्त मामले में भी निर्देश केवल पहली प्रतीक्षा सूची की घोषणा और संचालन के लिए थे।जहां तक इस तरह के निर्देशों का संबंध है, उर्मिला देवी के मामले में वर्तमान भर्ती के लिए पहले ही जारी किया जा चुका था और जैसा कि पिछले पैरा में देखा गया है, जारी किए गए निर्देशों का राज्य द्वारा पहले ही अनुपालन किया जा चुका है।इसलिए, अब कोई और निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय वर्तमान रिट याचिकाओं में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है और उन्हें इसके द्वारा खारिज किया जाता है।

स्थगन याचिकाएं भी खारिज की जाती हैं।

**<u>एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3139/2022</u>**

वर्तमान रिट याचिका का मुद्दा पूरी तरह से उपरोक्त तीन रिट याचिकाओं के समान होने के कारण, एक साथ सुनवाई की गई है और इस आम निर्णय द्वारा तय किया जा रहा है.अंतर केवल इतना है कि इस याचिका में विवाद शिक्षक ग्रेड III स्तर I (सामान्य शिक्षा) की भर्ती के लिए दिनांक 12.04.2018 के विज्ञापन से संबंधित है।वर्तमान मामले में भी, चयनित सूची जारी किए जाने और संचालित किए जाने के बाद रिक्त सीटों को नहीं भरा जा सका और इसलिए, कई रिट याचिकाएं पेश की गईं, जिनमें प्रतीक्षा/आरक्षित सूची की घोषणा के लिए निर्देश जारी किए गए थे.न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए, खाली रह गई 894 सीटों के लिए दिनांक 19.12.2020 को प्रतीक्षा/आरक्षित सूची जारी की गई थी।उक्त

प्रतीक्षा सूची संचालित की गई और समाप्त हो गई।उक्त प्रक्रिया के बाद भी, 826 सीटें अभी भी रिक्त हैं और इसलिए, वर्तमान रिट याचिका को उपर्युक्त तीन रिट याचिकाओं में दी गई उसी राहत के लिए पेश किया गया है।

एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3874/2022 में की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान रिट याचिका भी खारिज की जाती है।

स्थगन याचिका भी खारिज की जाती है।

**(रेखा बोराना), न्यायाधीश**

(Translation has been done through AI Tool : SUVAS with the help of Translator)

Disclaimer : The translated judgment in vernacular language made for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purposes. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.